कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन/फैक्स 0135-2608646

उत्तराखण्ड शासन

पत्र संख्या–UKHFWS/PS-MDNHM/2019-20/01/220 दिनांक – 24 मार्च, 2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषय: **कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर अपेक्षित कार्य।**

महोदय,

कृपया सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लाकडाउन के अन्तर्गत कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण रोकथाम कार्यक्रम पत्रांक संख्या 55-PS-Secy(MH)/2020 दिनांक 24/03/2020 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पत्र के क्रम में कान्टेक्ट ट्रेसिंग के अनुश्रवण कार्य की क्रियाविधि निम्नवत की जा सकती है–

1	**कान्टेक्ट ट्रेसिंग**	
	लक्ष्य	1. इमीग्रेशन विभाग से प्राप्त सूची (अथवा अन्य पुष्ट श्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर) विगत एक माह के अन्तर्गत विदेश से आये सभी व्यक्तियों को सूचीबद्व करना
		2. कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों के सभी संपर्क व्यक्तियों को सूचीबद्व करना
	उत्तरदायी व्यक्ति	जनपद सर्विलेंस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 अथवा नोडल अधिकारी, जनपद स्तरीय कोरोना रोकथाम कार्यक्रम
2	**क्वारेन्टाइन व्यवस्था**	
	लक्ष्य	1 उपरोक्त सूचीबद्व व्यक्तियों को उनके आवास पर क्वारेन्टाइन किया जाना है 2 कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों के सभी हाई रिस्क* संपर्क व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेन्टाइन व्यवस्थाओं में रखा जाना है। ऐसी संस्थागत क्वारेन्टाइन इमारतों/भवनों का चयन पूर्व से ही कर लिया जाना अपेक्षित है।
	उत्तरदायी व्यक्ति	जनपद सर्विलेंस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 अथवा नोडल अधिकारी, जनपद स्तरीय कोरोना रोकथाम कार्यक्रम
3	**दैनिक क्वारेन्टाइन अनुश्रवण**	
	लक्ष्य	जनपद में समस्त सूचीबद्व क्वारेन्टाइन किये गये व्यक्तियों का उनके आवास/क्वारेन्टाइन स्थान पर ही दैनिक पर्यवेक्षण किया जाना
	उत्तरदायी दल	क्षेत्रीय अनुश्रवण दल(आशा/ए0एन0एम0/आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा यदि आवश्यक हो तो अन्य रेखीय विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी)
	सदस्यों के संख्या	एक दल में कम से कम दो व्यक्ति सम्मिलित हों
	कार्य	1 प्रत्येक दल द्वारा एक दिन में अधिकतम 25 व्यक्तियों (यदि यह संख्या दिन भर में पैदल तय की जा सकने वाली दूरी/परिधि में हो तो) का पर्यवेक्षण किया जा सकता है
		2 प्रत्येक दल प्रत्येक दिन अपने क्षेत्र में समस्त सूचीबद्व क्वारेन्टाइन लोगों का पर्यवेक्षण करेगा। उनकी इस आशय से जांच की जानी है कि उन्हें

Scanned with CamScanner

		बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण तो नहीं हैं।
		3 इससे सम्बन्धित समस्त जानकारी फार्मेट–ए पर अंकित कर दैनिक रूप से ब्लाक, जनपद तथा राज्य स्तर पर प्रेषित की जानी है।
	पर्यवेक्षण के समय साथ रखी जाने वाली वस्तुएं	1 फार्मेट–ए 2. इन्फ्रारेड थर्मामीटर 3. मास्क 4. हैंड सैनीटाइजर

हाई रिस्क* = कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों के किसी भी तरह के निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्ति।

भवदीय

(युगल किशोर पन्त)आई०ए०एस०
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तराखण्ड

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव (प्रभारी), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

24/3/2020

(युगल किशोर पन्त)आई०ए०एस०
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner